निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2020–21/1392 दिनांक– 28/07/2020

समस्त प्राचार्य/जिला नोड़ल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान

परिपत्र

विषय – राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रायः ध्यान में आया है कि आपके स्तर पर सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है। जिसके कारण सम्पर्क पोर्टल की शिकायतें अपने उच्च स्तर निदेशांलय कॉलेज शिक्षा को स्वतः हस्तांतरित हो जाती है। निदेशालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा निम्नानुसार छात्रवृत्तियों का संचालन ऑनलाईन किया जाता है :–

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2. देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
4. विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि) द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि से संबंधित शिकायतों को आपके स्तर पर सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित ना करके निदेशालय को फारवर्ड किया जाता है।

निदेशालय स्तर पर प्राप्त सम्पर्क पोर्टल शिकायतों के निस्तारण हेतु निदेशालय द्वारा संबंधित नोड़ल महाविद्यालय को पत्र व निर्देश जारी किये जाते है। जिन्हें प्रायः आपके द्वारा गंभीरता से न लेते हुए संबंधित प्रकरणों को लंबित रखा जाता है जो कि शोचनीय स्थिति है। जिसके परिणामस्वरूप सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं होने से स्वतः निदेशालय को प्राप्त होती है। निर्धारित समयावधि मे शिकायतो का निराकरण के अभाव मे राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है।

शिकायतों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पर्क पोर्टल को महाविद्यालय स्तर पर प्रतिदिन खोलकर प्राप्त शिकायत का अपने स्तर पर निस्तारण की कार्यवाही करे। यदि आपके स्तर पर कोई लापरवाही बरती गयी और निर्धारित समयावधि मे शिकायत का निराकरण नही करके निदेशालय को हस्तांतरण किया गया तो निदेशालय द्वारा संबधित के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(संदेश नायक)
निदेशक कॉलेज शिक्षा, जयपुर

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2020–21/1393 दिनांक– 28/07/2020

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड़ किये जाने हेतु।

(एच.आर.पंवार)
वित्तीय सलाहकार